

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

पत्रांक-02/स्थापना-1001/2018- 2065
प्रेषक,

रॉची, दिनांक.- 11/5/18

इन्द्रदेव मंडल
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में

सभी अधीक्षण अभियंता (यॉंत्रिक सहित)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड।

विषय:- लेखा लिपिक संवर्ग में कार्यरत कर्मियों की सूचना विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड द्वारा राज्य के कार्य विभागों के अधीन विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए झारखण्ड लेखा संवर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए नियमावली का गठन किया गया है। उक्त नियमावली के तहत लेखा संवर्ग में पूर्व से कार्यरत लेखा लिपिकों की वरीयता का निर्धारण संबंधित कार्य विभाग के मुख्यालय स्तर पर किया जाना है।

अतएव अपने अधीन लेखा लिपिक संवर्ग में कार्यरत कर्मियों की सूचना संलग्न विहित प्रपत्र में लेखा लिपिक के स्वीकृत पद के साथ एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु०:-यथोपरि।

विश्वासभाजन,

11/5/18

(इन्द्रदेव मंडल)

सरकार के संयुक्त सचिव

11/05/18

